न्यायालय लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

(पिठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 84 / 2019
दर्ज दिनांक – 13 / 09 / 2019
निर्णय दिनांक – 17 / 03 / 2020

अनवान

1. कमलेश कुमार पिता हरकलाल जाति ब्राहमण निवासी गिलुण्ड , तहसील रेलमगरा
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा तहसील रेलमगरा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलूण्ड पटवार हल्का गिलुण्ड के आराजी संख्या 587, 593, 2992, 2998, 592 मी. रकबा 17–13 बीघा प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की स्थित है उक्त आराजीयात के सम्बंध में पडोसी सीमा के सम्बंध में विवाद करते है, और लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है, इसलिये पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के सम्बंध में पत्थरगडडी कराया जाना एवं मीनार बंदी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है, ताकि उक्त आराजीयात के सीमा सम्बंध विवाद नहीं हो और भूमियों पडोसियों से किसी प्रकार की टकराव एवं विवाद नहीं हो। प्रार्थना पत्र हेतु विगत एक माह से पडोसियों द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बंध में सीमा सम्बंधी विवाद करने पर प्रार्थी द्वारा समझाने पर नहीं मानने से लगातार पैदा हुआ। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित आराजीयात की पत्थरगडी एवं मिनार बन्दी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षी को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षी की ओर से पेराकार सरकार ने उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने हेतु अन्नापति जाहीर की गई।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलूण्ड के आराजी संख्या 587, 593, 2992, 2998, 592 की रकबा 17–13 बीघा भुमि के चारो दिशाओ की पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा